क्रमांक 34/45/79–5 जी एस: I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभाग अध्यक्ष,
अम्बाला तथा हिसार मण्डलों के आयुक्त,
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट
चण्डीगढ़।

दिनांक चण्डीगढ़ 27 मार्च, 1980

विषय :— अशक्त/विकलांग (श्रेणी-III व श्रेणी–IV) कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करना।

महोदय,

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4 के अशक्त/विकलांग कर्मचारी, जिन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो तथा जिन्होंने दिनांक 6 फरवरी 1980 को एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो, की सेवाएं नियमित की जाएं, बशर्ते कि उसका कार्य संतोषजनक पाया गया हो। उपर्युक्त निर्णय के अधीन निम्नलिखित श्रेणियों के विकलांग/अशक्त कर्मचारियों को शामिल किया गया है :—

(क) जिनका कम से कम एक बाजू या टांग नाकारी हो गई हो,
(ख) अन्धे व्यक्ति,
(ग) बहिरे तथा गूंगे व्यक्ति।

2. चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रारम्भिक नियुक्तियां अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं तथा इन पदों पर व्यक्तियों की भर्ती पहले ही नियुक्ति प्राधिकारियों के द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है।

3. सरकार के उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु श्रेणी–3 के ऐसे पदों को, जिन पर उपर्युक्त श्रेणियों के अशक्त/विकलांग कर्मचारियों को लगे हुए दिनांक 6 फरवरी, 1980 तक एक वर्ष हो गया हो, अधिसूचना क्रमांक एस0ओ0–68/कान्स्ट/आर्ट 309/80, दिनांक 6 मार्च, 1980 द्वारा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र से निकाला गया है।

4. मुझे आपको यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त श्रेणियों के अशक्त/विकलांग (श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4) के कर्मचारियों जिन्होंने दिनांक 6 फरवरी, 1980 तक एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, बशर्ते की उनका कार्य सन्तोषजनक रहा हो, की सेवाएं नियमित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

5. आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित प्रोफार्मा में (श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4 के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग) प्रत्येक मास की मासिक प्रगति रिपोर्ट उससे अगले मास को 10 तारीख तक महालेखाकार, हरियाणा को इसकी प्रति भेजते हुए इस विभाग को भेजें ताकि राज्य सरकार द्वारा इस बारे प्रगति देखी जा सके।

1	3	3			4	5
क्रम संख्या	पदों की श्रेणी	6 फरवरी, 1980 को अशक्तता के अनुसार तदर्थ कर्मचारियों की संख्या।			कुल जोड़	रिपोर्ट अधीन मास के दौरान नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या।
		(क) जिन का कम से कम एक बाजू या टांग नाकारी	(ख) अन्धे व्यक्ति	(ग) बहिरे व गूंगे व्यक्ति		

6. कृपया उक्त निर्णय/हिदायतें सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचनार्थ तथा दृढ़तापूर्वक अनुपालन हेतु ध्यान में लाई जाए।

भवदीय,

हस्ता0

(राम प्रकाश)

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 34/46 79–5 जी0 एस0-I दिनांक, चण्डीगढ़ 27 मार्च, 1980

एक प्रति महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता0

(राम प्रकाश)

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।